Order 2016

(142)

कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी

संख्या :- 64 दिनांक 2.06.2016

-:: आदेश ::-

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन परियोजना खण्ड, बून्दी के पत्र कमांक अ.अ./जं.सं./परि./तक./2016/817 दिनांक 18.02.2016 से गरडदा सिंचाई परियोजना की दायी एवं बायीं मुख्य नहर के निर्माण में आयी वन भूमि के बदले राजस्व भूमि समायोजित किये जाने हेतु निवेदन किया है तथा पत्र कमांक 1691 दिनांक 18.04.16 से संलग्न प्राप्त सूची अनुसार इस परियोजना में आयी वन भूमि ग्राम अनुपपुरा के खसरा संख्या कुल किता 18 रकबा 5.461 है, ग्राम बांकी के खसरा संख्या कुल किता 10 रकबा 4.599 हैक्टर, ग्राम मंडावरी के खसरा संख्या कुल किता 4 रकबा 2.350, ग्राम श्रवण की झौपंडिया के खसरा संख्या कुल किता 3 रकबा 1.534 हैक्टर, ग्राम होलासपुरा के खसरा संख्या कुल किता 5 रकबा 1.568 हैक्टर, ग्राम भेरूपुरा के खसरा संख्या कुल किता 6 रकबा 2.486 हैक्टर, ग्राम लोईचा के खसरा संख्या कुल किता 3 रकबा 0.575 कुल 7 ग्रामों के कुल 48 खसरा संख्या की 18.573 हैक्टी (विस्तृत सूची संलग्न) है।

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति पत्रांक प. 6(315)राज/ग्रुप-3/97 दिनांक 07.06.99 के अनुसरण में चाकन सिंचाई परियोजना के बदले में वन विभाग को कार्यालय आदेश कमांक एफ 8-5(10)राजस्व/94/1927-35 दिनांक 15.6.99 से आवंटित ग्राम कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ की 289.53 हैक्टर भूमि में से उप वन संरक्षक, बून्दी के पत्र कमांक ( )वन संरक्षण/उवस/2016-17/7048 दिनांक 18.05.2016 से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर समायोजन किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

जिला कलक्टर,बून्दी

क्रमांक : प.8-5(37) राजस्व/06/4297-4306 दिनांक 2.06.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. उप वन संरक्षक, बून्दी
3. उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी, बून्दी, तालेडा
4. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन परियोजना खण्ड, बून्दी
5. तहसीलदार बून्दी/इन्द्रगढ/तालेडा
6. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर,बून्दी

अतः अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट आफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट आॅ को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन, यथासाधन उसी प्रणाली में किया जावेगा जैसा कि उक्त एक्ट धारा 6,7,8, 10,11 (1) 12,13,14,17,18 तथा 19 में प्रावहित है;

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रसर अनु में राजस्थान सरकार उक्त जांच अथवा अभिलेखन सम्पादित होने तक, उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस वि द्वारा संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिक किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रसर अनुसरण में यह भी घोषणा कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है राज-पत्र में इस विज्ञ प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों को हटाया जाना चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशुपालन किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है ।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बन्जर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विव
1	2	3	4	5	
1.	कोटाखुर्द B	(के. पाटन) इन्द्रगढ़	बून्दी	पूर्व–सरहद ग्राम गोवाटा पश्चिम–राजस्व भूमि कोटा खुर्द उत्तर–राजस्व भूमि कोटा खुर्द दक्षिण–राजस्व भूमि कोटा खुर्द	

प्रथम–अनुसूची

वनखण्ड :–कोटा खुर्द B

जिला	तहसील	रेन्ज	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्र है.	वि गे.
बून्दी	के.पाटन	इन्द्रगढ	कोटा खुर्द	812	6.66	
				829	4.93	
				837	4.63	
				841	7.40	
				842	15.72	
				843	15.77	
				852	3.62	
				858	4.31	
				859	11.07	
				860	10.59	
				861	1.92	
				862	5.45	
				876	9.23	
				1346	7.31	
				14.0	108.61	

108.61 हैक्टर
1.0861 वर्ग कि

निशान / किमा
पढा / सुना

छाया प्रति प्रमाणित
वन बन्दोबस्त अधिकारी
कोटा

छाया प्रति प्रमाणित
वन बन्दोबस्त अधिकारी
कोटा